राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 20(5)त.शि./04–I जयपुर, दिनांक, 17 जून, 2019

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय
अजमेर।

विषय :– Approval of Minutes of Board of Governors meeting dated 10-6-2019.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके द्वारा बीओजी की बैठक दिनांक 10.6.2019 का प्रस्तुत कार्यवाही विवरण (अनुमोदित) की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कृपया संलग्न अनुमोदित कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. स्टेट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसपीआईयू टेक्यूप–III जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि

12th Meeting of Board of Governors of Engineering College Society Ajmer was held on Monday, June 10, 2019 at 10.00 am in the Board Room of Center for Electronic Governance, Govt. R.C. Khaitan Polytechnic Campus, Jaipur under the presidentship of Dr. Subhash Garg, Hon'ble MoS Technical Education and under the Chairmanship of Prof. R.P. Dahiya, Hon'ble Chairman, AICTE Nominee.

Attendance :

Following Members were present :

1. Sh. Vaibhav Galriya, Hon'ble Secretary, Technical Education, Govt. of Rajasthan
2. Sh. D.K. Varenia, Member, ECS Ajmer (Nominee from Director Tech. Edu.)
3. Dr. Vimal Chand Jain, Member, ECS Ajmer
4. Dr. Chandan Sharma, Member, ECS Ajmer
5. Dr. Rohit Misra, Member Secretary, Engineering College Society Ajmer

Following persons were also present :

6. Sh. Anil Kumar Agarwal, Joint Secretary-I Technical Education, Govt. of Rajasthan
7. Sh. Manish Gupta, Joint Secretary-II, Technical Education Deptt., Govt. of Rajasthan
8. Dr. Sundeep Kumar, Director, CEG, Jaipur
9. Dr. Ankur Pareek, Nodal Officer (Academics), SPIU, (TEQIP-III), Jaipur
10. Dr. Jitendra Kumar Deegwal, Principal, Govt. Women Engineering College, Ajmer
11. Dr. Shiv Lal, Principal, Govt. Engineering College, Banwara
12. Mr. M. A. Pathan, Technical Education, Govt. of Rajasthan

प्रस्ताव सं. 12.01	:	ग्यारहवीं शासी परिषद् के कार्यवृत्त (मिनट्स) की पुष्टि हेतु क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	:	अनुमोदित
प्रस्ताव सं. 12.02	:	महाविद्यालय से संबंधित पुराने अभिलेख जिनकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है को जी0एफ0 एण्ड

ए0आर0 के नियमानुसार निस्तारण की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : छात्र–छात्राओं की परीक्षा की कॉपियॉ एवं अन्य शैक्षणिक **Submissions** यथा **Lab File, Project Report, Training Report** आदि 3 साल से अधिक पुराना रिकार्ड एंव अन्य रिकार्ड जो कि 10 वर्ष से अधिक पुराना हो, को समिति का गठन कर निस्तारण किया जाये। परन्तु ऐसे अभिलेख, जिनसे सम्बन्धित कोई **Audit objection,** शिकायत, **enquiry** या **AG para** लम्बित हैं उन्हें नष्ट न किया जाए । **Case to case** आधार पर निर्णय हेतु समिति का गठन किया जाए जिसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी हो। उपरोक्त समिति की अभिशंषा के आधार पर उक्त पुराने रिकॉर्ड का निस्तारण किया जाए।

प्रस्ताव सं. 12.03 : महाविद्यालय में ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों की संख्या जो वर्तमान में 25 निर्धारित है, को प्राचार्य स्तर पर आवश्यकतानुसार 40 तक करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : वर्तमान में महाविद्यालय के 12 नियमित अशैक्षणिक कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ अन्य विभागों में कार्यरत हैं उसकी समीक्षा की जावे। छात्रावास

संचालन हेतु समस्त सेवाऐं (मेस सर्विस, सफाई व्यवस्था, केन्टीन, सुरक्षा इत्यादि) हेतु फर्म को ठेका दिया जावे तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाऐं ना दिये जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया जावे।

प्रस्ताव सं. 12.04 : महाविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय में स्थायीकरण व पदोन्नत्ति हेतु वाद दायर किया गया है इस हेतु अधिवक्ता श्री श्यामकान्त शर्मा को नियुक्त किया गया है, जिसका अधिवक्ता शुल्क राशि रूपये **38000/-** का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित
परन्तु भविष्य में पिछली बी.ओ.जी. में लिए गये निर्णय अनुसार **Empanelled Advocate** की सूची से ही अधिवक्ताओं की सेवाऐं ली जावें।

प्रस्ताव सं. 12.05 : महाविद्यालय में नवनिर्मित SC/ST छात्रा छात्रावास का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसे 1 जुलाई 2019 से प्रारम्भ किया जाना है, इस हेतु आवश्यकतानुसार क्रय करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : अनुमोदित
क्रय किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक सामग्री के कुछ

लोकप्रिय ब्रांड (न्यूनतम 4) दिए जाये जिससे गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जा सके।

प्रस्ताव सं. 12.06 : महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क विश्वविद्यालय को दिया जाता है जिसकी राशि 15 से 20 लाख है को राजकीय संस्थानों हेतु माफ कराने हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : महाविद्यालय को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से स्थायी सम्बद्धता के प्रयास करें। साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को पत्र प्रेषित कर प्रकरण का समाधान निकाला जावें।

प्रस्ताव सं. 12.07 : **TEQIP-III** संशोधित उपायन योजना (**Revised Procurement Plan**) पर विचार कर स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रस्तुत उपायन योजना को सैद्धान्तिक अनुमोदन करते हुए यह निर्देश प्रदान किये गये कि राज्य स्तर पर प्रत्येक ब्रान्च हेतु 2 विषय विशेषज्ञ, **SPA TEQIP** एवं **Nodal Officer (Procurement) TEQIP** की समिति बनाई

जावें। उपरोक्त समिति क्रय हेतु प्रस्तावित आईटम्स की उपयोगिता एवं **Specification** की समीक्षा कर योजना को अनुमोदित करेगी अथवा इसमें आवश्यक संशोधन करेगी। उपरोक्त समिति सम्बन्धित महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव का 7 दिवस के भीतर परीक्षण कर अनुमोदन अथवा दिशा–निर्देश प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।

प्रस्ताव सं. 12.08 : **TEQIP-III** के अर्न्तगत छात्रों के औद्योगिक भ्रमण, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (**IITs/NITs**) की तकनीकी प्रतिस्पर्धाओं आदि में भाग लेने हेतु यात्रा व अन्य भत्तो की दरें विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : उक्त संबंध में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर की शासी परिषद् में निर्णय पूर्व में पारित किया जा चुका है। उन्हीं निर्णयों को इस जैसे समस्त प्रकरणों में शासी परिषद् के समस्त महाविद्यालयों पर लागू कर लिया जावे।

प्रस्ताव सं. 12.09 : महाविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश बढाने हेतु समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों को TEQIP-III की मद वृद्धिशील परिचालन लागत (Incremental operating cost) से खर्च करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय	:	अनुमोदित (समिति के समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों पर लागू किया जायेगा) महाविद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापन में विद्यार्थियों के अकादमिक विकास एवं विद्याथिर्यों को दी जाने वाली आधारभूत सुविधाओं को भी फोकस किया जाए।
प्रस्ताव सं. 12.10	:	महाविद्यालय के टेक्यूप–III परियोजना अन्तर्गत संशोधित क्रय योजना विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	:	12.07 के अनुसार।
प्रस्ताव सं. 12.11	:	श्रीमती रूचि भास्कर, सहायक आचार्या– संगणक अभियांत्रिकी विभाग के प्रतिनियुक्ति व वेतन संबंधी प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	:	अनुमोदित
प्रस्ताव सं. 12.12	:	श्रीमती रजनी चौधरी, सहायक आचार्या– संगणक अभियांत्रिकी विभाग के प्रतिनियुक्ति व वेतन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	:	अनुमोदित
प्रस्ताव सं. 12.13	:	महाविद्यालय में ठेका प्रथा के माध्यम से कार्यरत् श्रमिकों के नियत मासिक भुगतान हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	:	प्रस्ताव खारिज करते हुए यह निर्देश दिये गये कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)

		वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 अनुसार कार्यवाही की जावे।
प्रस्ताव सं. 12.14	:	महाविद्यालय के समीप स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक (स्मार्ट हब) सेवा के माध्यम से शुल्क एकत्रित/जमा करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	:	तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर पर समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयो में एक जैसी सुविधा विकसित करने हेतु एस.बी.आई. एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक के साथ बैठक कर निर्देश जारी किये जायेंगे।
प्रस्ताव सं. 12.15	:	महाविद्यालय में राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (NPIU), नई दिल्ली के माध्यम से अनुबंध पर कार्यरत् सहायक आचार्यो के Ph.D. कार्यक्रम के अनुमोदन व शुल्क पुनर्भरण हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	:	NPIU संकाय सदस्यों मय महाविद्यालय के संकाय सदस्यों को शिक्षण शुल्क देय होगा। कोर्सवर्क (Online) का सर्टिफिकेट प्रस्तु करने पर आगामी सेमेस्टर की फीस देय होगी। अण्डरटेकिंग देनी होगी। TEQIP-III प्रोजेक्ट अवधि तक के लिए Ph.D. शुल्क पुर्नभरण किया जा सकता है तथा चार वर्ष में **Ph.D.** पूर्ण करनी होगी।

प्रस्ताव सं. 12.16	:	टेक्यूप–III योजना अन्तर्गत महाविद्यालय के अशैक्षणिक कार्मिकों (स्टॉफ) के प्रशिक्षण/उच्च–अध्ययन के शुल्क पुनर्भरण तथा अन्य लाभ विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	:	TEQIP-III के दिशा निर्देशों की पालना की जाये।
Agenda Item No. 12.17:		**To consider and approve the revised (2019-20) Procurement Plan**
निर्णय	:	12.07 के अनुसार।
Agenda Item No. 12.18:		**To consider and approve the Quarter -2 (2019-20) Action Plan**
निर्णय	:	अनुमोदित
Agenda Item No. 12.19:		**To consider and approve student expenditure under TEQIP-III**
निर्णय	:	उक्त संबंध में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर की शासी परिषद् में निर्णय पूर्व में पारित किया जा चुका है। उन्हीं निर्णयों को इस जैसे समस्त प्रकरणों में लागू कर लिया जावे।
Agenda Item No. 12.20:		**To consider and approve the Institute advertisement fund from TEQIP fund (for booking under IOC) for increasing the admission.**
निर्णय	:	अनुमोदित

किन्तु दिए जाने वाले विज्ञापन के मूल में छात्रों के अकादमिक विकास एवं महाविद्यालयों द्वारा छात्रों

को दी जाने वाली आधारभूत सुविधाओं पर ज्यादा फोकस किया जाए।

Agenda Item No. 12.21: **To consider and approve the Expenditure regarding EAP and EMP.**

निर्णय : TEQIP-III के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए EAP व EMP मद में व्यय सुनिश्चित किया जाए। उक्त के संबंध में NPIU व SPIU से भी दिशा–निर्देश लिए जा सकते है।

Agenda Item No. 12.22: **To consider and approve the printing Expenditure for Institute and Departmental Progress report, Equipment Signature, Lab Manuals, Flexi Sheet Printing etc.**

निर्णय : उक्त मद में आवश्यकतानुसार 2 लाख तक के खर्च IOC मद से किये जा सकते हैं।

Agenda Item No. 12.23: **To consider and approve the Expenditure of non-teaching staff of the Institute and visited staff (Technical and non-technical) from other institute/Industry.**

निर्णय : सिर्फ राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा हेतु अनुमोदित उसकी विशेष परिस्थिति को देखते हुए।

बैठक में अध्यक्ष की महोदय द्वारा अन्य बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर निम्न निर्णय लिए गये : –

1. ग्यारहवीं शासी परिषद के प्रस्ताव सं. 11.16 पर निर्देश जारी किये गये कि समिति के अधीन संचालित समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि कुलसचिव के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार महाविद्यालय सेवा के उप कुलसचिव को व उप कुलसचिव पद पर कार्मिक ना होने पर वरिष्ठ सहायक कुलसचिव को कार्यभार देय होगा तथा सहायक कुलसचिव, उप कुलसचिव पद का अपग्रेडेन वित्त विभाग की सहमति के पश्चात किया जायेगा।
2. शैक्षणिक सदस्य को कुलसचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार देय नहीं होगा। महाविद्यालय सेवा के सहायक कुलसचिव या उपकुलसचिव पद पर कार्मिक ना होने पर लेखासेवा के अकाउंटस ऑफिसर को कुलसचिव पद का अतिरिक्त भार दिया जा सकता है।
3. समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त क्रय किये जाने वाले पैकेज की उपयोगिता सुनिश्चित करते हुये NIPU/SPIU द्वारा दी गई समयावधि में ही क्रय किया सुनिश्चित किया जावे।
4. SAS, Solar Energy etc. initiatives should also be taken in the College under TEQIP-III.